भारतीय संघ का पुनर्गठन : बुंदेलखंड राज्य की मांग के संदर्भ में एक समीक्षात्मक अध्ययन

विवेक पटेल शोध - छात्र

श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, प्रयागराज

शोध सार: भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संवैधानिक प्रावधानों के तहत कई नए राज्यों का गठन हुआ है, जैसे- झारखंड, उत्तराखंड एवं तेलंगाना इत्यादि। किंतु इन सभी से पूर्व पृथक राज्य की मांग करने वाला बुंदेलखंड आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा के बीच स्थित होने के कारण विकास के मामले में उपेक्षित रहा है। खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद बुंदेलखंड के लोग लंबे समय से अन्याय, अपमान और अल्पविकास के शिकार रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग दशकों से निरंतर जारी है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय संघ के पुनर्गठन के आवश्यकता एवं औचित्य, बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग के कारण और प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख शब्द: बुन्देलखंड राज्य की मांग, भौगोलिक चुनौतिया, अस्मिता संकट, आर्थिक पिछड़ापन एवं असंतोष, जातिगत एवं सामंती शोषण, नीतिगत एवं संस्थागत विफलताएँ, राज्य पुनर्गठन इत्यादि।

परिचय: भारतीय संघ के भीतर राज्यों या प्रांतों की प्रकृति भाषाई, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता और साझा ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। इन साझा सांस्कृतिक मूल्यों की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में प्रायः एक प्रकार का पदानुक्रम देखने को मिलता है। इस विविधता के भीतर ही मूलनिवासी एवं प्रवासी समुदायों के पारंपरिक प्रवासन पैटर्न निहित हैं, जो सदियों से दक्षिण एशियाई मानव पारिस्थितिकी का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन रणनीतिक भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय स्वयं को "क्षेत्रीय पहचान" के रूप में परिभाषित करते हैं और अपने लिए "क्षेत्रीय राज्य का दर्जा" प्राप्त करने की मांग करते हैं। यह मांग प्रायः "एक राज्य के भीतर राज्य" की अवधारणा से जुड़ी होती है, जिसके अंतर्गत संबंधित समुदाय अपने क्षेत्र के संसाधनों पर स्वामित्व एवं शासन-प्रशासन में स्वायत्तता की आकांक्षा रखता है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन मांगों में निरंतर वृद्धि हुई है। सामुदायिक लामबंदी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पृथक राज्य आंदोलनों को वैचारिक और जनाधार दोनों स्तरों पर सशक्त किया गया। 1947 के बाद भारत में 30 से अधिक पृथक राज्य आंदोलनों का उद्भव हुआ, जिनमें से कई 1950 के दशक में प्रारंभ हुए और इनका प्रत्यक्ष परिणाम अनेक नए राज्यों के निर्माण के रूप में सामने आया। तथापि, इन मांगों का शिलशिला यहीं नहीं थमा बल्कि इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में जनसांख्यिकीय और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नए पृथक राज्य आंदोलनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन आंदोलनों में बुंदेलखंड क्षेत्र एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिकता इस क्षेत्र को प्राचीन काल में ले जाती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि बुन्देलखण्ड साम्राज्य की स्थापना प्रसिद्ध आर्य राजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा दण्डक ने की थी। महाकाव्य महाभारत में उल्लेख है कि इक्ष्वाकु के वंशजों ने चेदि साम्राज्य की स्थापना की थी। महाभारत काल के बाद, बुन्देलखण्ड मौर्य शासन के अधीन आया और उसके बाद वाकाटकों और कलचुरियों का शासन आया। इस क्षेत्र पर कई राजवंशों का शासन था, जो अक्सर अन्य राज्यों के आधिपत्य में आते थे, जिनमें गुप्त, वाकाटका, हूण, नागा, गुर्जर-प्रतिहार, गोंड, मुगल, मराठा और औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश जैसे बड़े साम्राज्य शामिल थे। इन राजवंशों ने वास्तव में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रशासनिक प्रणालियों या अर्थव्यवस्था में किसी भी क्षेत्रीय विशेषता का विकास नहीं किया। एक बात जो अस्तित्व में आती है वह यह है

कि विभिन्न शासकों और दूर के राजवंशों के शासनकाल ने स्थानीय सामंतों की स्थापना की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, इस प्रकार, इस क्षेत्र में एक मजबूत सामंती प्रवृत्ति के बीज बोए गए, जो मजबूत सामाजिक और धार्मिक प्रथा के जाल में समाहित हो गए।

मुगलों के पतन की प्रक्रिया के दौरान मराठों को मौका मिला और अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस क्षेत्र पर मराठों का कब्जा हो गया। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) में मराठों की हार और भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय के तुरंत बाद, उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक में यह क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया। 1802 में बेसिन की संधि के तहत मराठों ने बुंदेलखण्ड के कुछ हिस्से अंग्रेजों को सौंप दिए। 1818 में, तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद, पुणे के पेशवा ने बुन्देलखण्ड पर अपने सभी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिये। 1811 में बुंदेलखण्ड के विभिन्न राज्यों को बुंदेलखण्ड एजेंसी में संगठित किया गया था। बुंदेलखण्ड एजेंसी एक ब्रिटिश राजनीतिक इकाई थी जिसका प्रबंधन ब्रिटिश भारत के बाहर कई स्वायत्त रियासतों जैसे ओरछा, दतिया, समथर के समन्वय के लिए अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। बुन्देलखण्ड एजेंसी का मुख्यालय नौगांव (जिला छतरपुर) में स्थापित किया गया। बुन्देलखण्ड का दूसरा भाग, जो वर्तमान में यूपी का हिस्सा है, सीधे ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में इस हिस्से को संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया और बाद में इसे उत्तर प्रदेश कहा गया। जब हम बुन्देलखण्ड एजेंसी की रियासतों के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें 1950 में विंध्य प्रदेश राज्य बनाने के लिए पूर्व बाघेलखंड एजेंसी के साथ मिला दिया गया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, 1 नवंबर 1956 को बुंदेलखण्ड को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की राज्य के रूप में भौगोलिक स्थिति: प्रस्तावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र भारतीय संघ के दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया गया भौगोलिक भूभाग है। म.प्र. में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का भाग, इस राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है और यूपी से शामिल हिस्सा इस राज्य के दक्षिण में स्थित है। बुन्देलखण्ड लगभग 69,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यूपी के सात जिले चित्रकुट, बांदा, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर तथा एमपी के आठ जिले दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह और सागर बुंदेलखंड में शामिल किए जाते हैं तथा लगभग 14.5 मिलियन की कुल जनसंख्या हैं (2011 की जनगणना के अनुसार)।

बुन्देलखण्ड राज्य की मांग के कारण :-

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अलगाव: बुंदेलखंड की मांग क्षेत्र की गहरी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड को एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखा जाता है, जिसकी जड़ें सशक्त राजवंशों और समृद्ध लोक परंपराओं में निहित हैं। इस क्षेत्र की पहचान प्राचीन काल से ही अलग रही है। बुंदेलखंड की अस्मिता का निर्माण मुख्य रूप से चंदेल राजवंश (9वीं–13वीं शताब्दी) और बुंदेला राजवंश (16वीं–18वीं शताब्दी) के शासनकाल में हुआ। इस काल में खजुराहो के मंदिर, ओरछा के महल और अनेक स्थापत्य स्मारक क्षेत्र की सांस्कृतिक गौरवगाथा के प्रतीक बने।

बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान इसकी भाषा, संगीत और लोक परंपराओं में गहराई से रची-बसी है। बुंदेली (जिसकी उपभाषाएं बघेली, तिरहानी आदि हैं) यहां की जन-जीवन की आत्मा मानी जाती है। अल्हा गायन, कजरी, फाग और होरी जैसे लोक गीत, अचरी, राई और लामतेरा जैसे लोक नृत्य तथा महुआ और तेंदू पत्ता जैसी पारंपरिक जीवनशैली क्षेत्र को उत्तर भारत के अन्य भागों से विशिष्ट बनाती हैं। 1947 के बाद हुए राजनीतिक पुनर्गठन और प्रशासनिक विलयों ने बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विशिष्टता को हाशिये पर ला दिया। क्षेत्रीय अस्मिता और गौरव को पुनः स्थापित करने तथा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने के उद्देश्य से ही अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग समय-समय पर प्रबल होती रही है।

सामाजिक अस्मिता एवं सामुदायिक संरचना: बुंदेलखंड की सामाजिक अस्मिता केवल सांस्कृतिक प्रतीकों और ऐतिहासिक विरासत से ही नहीं, बल्कि इसकी गहरी सामाजिक संरचना से भी परिभाषित होती है। यह क्षेत्र सदियों से कठोर जाति व्यवस्था, सामंतवादी संरचना तथा पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित रहा है। इन तत्वों ने जहां सामाजिक अन्याय और शोषण को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर इसी पृष्ठभूमि ने जनता के भीतर विद्रोह

और प्रतिकार की चेतना भी पैदा की। सरकारी तंत्र और सामंतवादी ताकतों के गठजोड़ ने जब गरीब और वंचित वर्गों के लिए न्याय के रास्ते बंद किए, तब बीहड़ के जंगल उनके "न्याय के अखाड़े" बन गए। सरकार की दृष्टि में ये लोग "डकैत" कहलाए लेकिन जनमानस में ये "न्याय के मसीहा" अथवा रोबिनहुड बनकर उभरे। यही वह बगावती तासीर थी जिसने बुंदेलखंड को उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों से सामाजिक रूप से अलग पहचान दी।

शिवकुमार पटेल (ददुआ), अंबिका पटेल (ठोकिया), दस्यु सुंदरी फूलन देवी, पान सिंह तोमर, पुतलीबाई, सीमा परिहार, निर्मला, कुंवर सिंह, लल्ली, मान सिंह, गया कुर्मी, राजा रगौली, सूरजभान गैंग, रम्पा उर्फ़ रामपाल, गुड्डा उर्फ़ मइयादीन पटेल, सदाशिव उर्फ फौजी, खरदूषण, जगतपाल पासी, बुद्दा नाई, नथुवा, संतोषा यादव, धर्मा यादव, चुनुवा कहार, कलुवा दलित, हनुमान कुर्मी, राजेंद्र गोसाई, मतोला, तिजोला, रजवा, रामकरण काछी, रामकरण आरख, कोदा काछी, दिनेश कोल जैसे सैकड़ों लोगों ने बीहड़ का रास्ता अपनाया और सामंतवाद एवं अन्याय के खिलाफ बगावत करदी। इन विद्रोहों ने बुंदेलखंड के समाज में एक अलग प्रकार की "जन-न्याय की परंपरा" को जन्म दिया। यहां अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होना सामाजिक पहचान का हिस्सा बन गया। इस प्रकार जाति, लिंग और सामुदायिक संरचना से उपजी विद्रोही भावना ने बुंदेलखंड की सामाजिक अस्मिता को एक अद्वितीय रूप प्रदान किया।

भौगोलिक चुनौतियां एवं नीतिगत असफलताएं: बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने के लिए इसके भौगोलिक स्वरूप और विकास नीतियों की विफलताओं को समझना आवश्यक है। यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से अर्ध-शुष्क है, जहां जलसंकट, भूमि की अनुपजाऊता और मौसम की चरम परिस्थितियां विकास के लिए हमेशा बड़ी बाधाएं रही हैं। बुंदेलखंड सूखा-प्रभावित है, जहां औसत वर्षा 800-900 मिमी है लेकिन अनियमित, 2002-03 और 2014 के सूखों ने 9 जिलों को प्रभावित किया, लाखों पशुओं की मौत और फसल नुकसान हुआ। 2014 की NIDM रिपोर्ट के अनुसार, 2004-07 के सूखे से 3 मिलियन लोग प्रभावित हुए और जल संरक्षण की कमी से यह समस्या ओर गम्भीर हो जाती है।

नीतिगत असंगतियों और सरकारी उपेक्षा ने इन भौगोलिक चुनौतियों को ओर गहरा बना दिया है। क्षेत्र की गरीबी दर (40-50%, राष्ट्रीय औसत से दोगुनी), कम सिंचाई कवरेज (30-55%) और वार्षिक प्रवासन जैसी समस्याएं वास्तव में दीर्घकालिक विकास में बाधक रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों जैसे 2009 का सूखा शमन पैकेज (7266 करोड़), 2015 का विशेष आर्थिक पैकेज (691.50 करोड़), केन-बेतवा लिंक परियोजना (2021), रक्षा गलियारा (2018), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तथा संस्थागत कदम जैसे- बुंदेलखंड विकास बोर्ड (2018), बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (2019) आदि प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं, क्योंकि सूखे की पुनरावृत्ति (2004-07, 2014-16, 2020-21) और कृषि विकास दर में गिरावट (-4.33%) जारी रही है। ये प्रयास संरचनात्मक बदलाव लाने में सीमित साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रवासन और गरीबी के आंकड़े स्थिर हैं। जब तक योजनाएं दीर्घकालिक, पारदर्शी, पर्याप्त फंडिंग और स्थानीय भागीदारी से नहीं जुड़ेंगी, तब तक भौगोलिक चुनौतियां सामाजिक-आर्थिक संकट के रूप में बनी रहेंगी।

आर्थिक पिछड़ापन और असमान एवं असंतुलित विकास- बुंदेलखंड का आर्थिक पिछड़ापन कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की कमजोरी, औद्योगिक अभाव और बुनियादी ढांचे की कमी से है। क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 40-50% कम है और मानव विकास सूचकांक 0.4-0.5 के बीच है, जो उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों (जैसे पश्चिमी यूपी) से काफी नीचे है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने क्षेत्र के खनिज संसाधनों का लाभ अन्य राज्यों को दिया, जो असमान विकास का प्रमाण हैं जबकि स्थानीय विकास रुका रहा। 2012 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में 80% आबादी ग्रामीण है और सामाजिक संकेतक (शिक्षा, स्वास्थ्य) राष्ट्रीय औसत से 20-30% पीछे हैं। क्षेत्र में गरीबी दर 40-50% है, जो राष्ट्रीय औसत (21%) से दोगुनी है। 2014 की NIDM रिपोर्ट के अनुसार, बुंदेलखंड चरम गरीबी और पर्यावरण क्षति का शिकार है, जहां 60% से अधिक परिवार बहुआयामी गरीबी (पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य) में जीते हैं। 2012 की UNDP मानव विकास रिपोर्ट में पाया गया कि बुंदेलखंड में कुपोषण दर 55% है, जो उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों से 15-20% अधिक है। बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या की दर उच्च है, जो कर्ज, फसल नुकसान और सहायता की कमी से है। NCRB के 2012 डेटा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 13,727 किसान आत्महत्याएं हुईं, जिनमें बुंदेलखंड का योगदान सबसे अधिक है।

राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्र बुन्देलखण्ड: बुंदेलखंड क्षेत्र की राजनीतिक उपेक्षा के बीज मजबूत राजनीतिक संगठन या दूरदर्शी नेताओं की कमी ने केंद्र और राज्य सरकारों पर विकास के लिए दबाव बनाने में बाधा डाली है। क्षेत्र की 10 लोकसभा सीटें और लगभग 50 विधानसभा सीटें होने के बावजूद, चुने गए प्रतिनिधियों में इच्छाशक्ति की कमी ने क्षेत्र की आवाज को कमजोर किया है। राजनीतिक जागरूकता की कमी और राजनेताओं के बीच तालमेल न होने से सरकारें इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं देतीं, जिससे आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन बढ़ता रहा है। परिणामस्वरूप, अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग मजबूत हुई है, जो क्षेत्रवासियों की निराशा का प्रतिबिंब है।

बुंदेलखंड की राजनीतिक उपेक्षा की जड़ें गहरी हैं। स्वतंत्रता के बाद से, क्षेत्र के नेता केंद्र में प्रभावशाली भूमिका निभाने में असफल रहे, जिससे विकास योजनाओं में बजट और प्राथमिकता की कमी बनी रही। उदाहरण के लिए, 2025 तक भी, क्षेत्र की राजनीतिक दलों में एकजुटता नहीं है बीजेपी, एसपी, बसपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल यहां चुनावी मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिए साझा मोर्चा नहीं बनाते। फरवरी 2025 में, बुंदेलखंड के बीजेपी विधायकों ने एक अनौपचारिक बैठक में अलग राज्य की मांग को फिर से उठाया, जो दर्शाता है कि उपेक्षा की भावना अब सत्ताधारी दल के भीतर भी व्याप्त है।

भारतीय संघ का पुनर्गठन एवं छोटे राज्यों की प्रासंगिकता : बुंदेलखंड के संदर्भ में

1. बुंदेलखंड एक ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से समरूप क्षेत्र है। इसके लोग, भाषा, जीवन शैली और आर्थिक समस्याएँ विशेषकर जल-संकट, सूखा और कृषि संबंधी कमजोरियाँ, सामान्य व्यापक राज्यों की नीतियों के भीतर दबकर अक्सर संबोधित नहीं होतीं हैं। ऐसी स्थिति में बुंदेलखंड का विभाजन या उसकी पहचान को टुकड़ों में बांटना न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक कमजोर करेगा, बल्कि स्थानीय असंतोष और सामाजिक तनाव को भी बढ़ावा देगा। इतिहास हमें चेतावनी देता है अक्सर जब किसी समरूप इलाके की पहचान और न्यायसंगत विकास की मांगों को तवज्जो नहीं मिली, तो राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल का खतरा बढ़ जाता है जैसा कि बंगाल के विभाजन के बाद हुए आंदोलनों से स्पष्ट हुआ। अतः समरूपता और इतिहास दोनों को आधार मानकर बुंदेलखंड को तत्काल, नया राज्य बना दिया जाना चाहिए ताकि उसकी विशेष चुनौतियों के अनुरूप नीति तथा संसाधन केन्द्रित रूप से मिल सकें।

2. भारतीय संघ में उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि यह देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसकी आबादी 2025 तक अनुमानतः 25 करोड़ से अधिक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 17 प्रतिशत है। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य लगभग 2,43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें 75 जिले, 18 मंडल तथा 826 से अधिक विकास खंड सम्मिलित हैं। इस राज्य की विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील, रूस अथवा पाकिस्तान जैसे देशों से भी अधिक है। राज्य के भीतर प्रशासनिक दबाव और संसाधन वितरण की विषमता इस कारण भी अत्यधिक है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चारों भौगोलिक उप-क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ परस्पर भिन्न हैं, किन्तु प्रशासनिक संरचना समान रूप से केंद्रीकृत बनी हुई है। भारत जैसे संघीय लोकतंत्र में इतने बड़े, विविध और घनी आबादी वाले राज्य का एकल रूप में अस्तित्व न केवल प्रशासनिक दक्षता और समान क्षेत्रीय विकास के लिए चुनौती है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधन-संतुलन के दृष्टिकोण से भी असमानता उत्पन्न करता है। अतः उत्तर प्रदेश के भौगोलिक एवं जनसांख्यिक पुनर्गठन पर व्यावहारिक और तर्कसंगत विचार अब नीतिगत आवश्यकता बन चुका है।

3. भारत जैसे विशाल और विविध देश में संघ के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि संघीय इकाइयाँ यथासंभव संतुलित हों। अत्यधिक असमानता न केवल असंतोष और अविश्वास को जन्म देती है, बल्कि वह ऐसी शक्तियाँ भी उत्पन्न कर सकती है जो संघीय ढाँचे को कमजोर करें और देश की एकता के लिए चुनौती बनें। विश्व के अधिकांश संघीय संविधानों जैसे अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया आदि में यह ध्यान रखा गया है कि किसी भी एक इकाई को इतनी अधिक शक्ति प्राप्त न हो कि वह संघ की राजनीति और नीतियों पर अनुपातहीन प्रभाव डाल सके। भारत में यह संतुलन अब स्पष्ट रूप से बिगड़ चुका है। यह स्थिति केवल जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव के स्तर पर भी असंतुलन उत्पन्न करती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आती हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी दल के लिए सत्ता तक पहुँचने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व प्राप्त करना निर्णायक बन जाता है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश का आकार लोकतंत्र के लिए असमान राजनीतिक भार-केन्द्र का रूप ले चुका है।

अब जब 2026 के बाद नए परिसीमन की चर्चा उठ रही है, तो यह असमानता और भी गहराने की संभावना है। यदि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और औसतन प्रति 20 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट का अनुपात लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश की सीटें लगभग 126 तक बढ़ जाएँगी, जबकि दक्षिणी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक की सीटें घट जाएँगी या स्थिर रहेगी उदाहरण तमिलनाडु में 39 एवं केरल में 18 सीट रहेगी। स्पष्ट है कि इससे संघीय संतुलन और अधिक बिगड़ेगा। दक्षिण और पूर्वोत्तर के वे राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण

की नीति को अपनाया है, उन्हें इसका राजनीतिक दंड भुगतना पड़ेगा जबकि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य और अधिक राजनीतिक प्रभाव अर्जित करेंगे। यह स्थिति न केवल लोकतांत्रिक न्याय के विपरीत है, बल्कि संघीय एकता के लिए भी जोखिमपूर्ण है। राज्यों की समानता के सिद्धांत की उपेक्षा ने देश के अन्य भागों में अविश्वास और असंतोष को जन्म दिया है। यह भावना केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी यह चिंता व्यक्त की गई है कि अखिल भारतीय नीति-निर्माण में उत्तर प्रदेश का प्रभाव अनुपातहीन रूप से अधिक है। यदि इस असंतुलन को अब भी अनदेखा किया गया, तो यह संघीय एकता के लिए भविष्य में गम्भीर चुनौती बन सकता है।

4. किसी भी राज्य के सुशासन और प्रशासनिक दक्षता का सबसे वस्तुनिष्ठ मानदंड यह है कि वह जनकल्याण और राष्ट्र-निर्माण संबंधी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी अवसंरचना पर कितना व्यय कर पाता है। यदि इस कसौटी पर उत्तर प्रदेश की तुलना देश के अन्य राज्यों से की जाए, तो स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि इतना विशाल राज्य होते हुए भी उत्तर प्रदेश सामाजिक क्षेत्र में निवेश के मामले में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। नीति आयोग, वित्त आयोग और भारत सरकार के हालिया बजटीय आंकड़ों के अनुसार (2023-24), उत्तर प्रदेश में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय लगभग ☐10,500 प्रति वर्ष है जबकि केरल में यह लगभग ☐25000, कर्नाटक में ☐20000, तमिलनाडु में ☐22000 और महाराष्ट्र में ☐18000 के आसपास है। तथा शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लगभग ☐2,800 था, जबकि केरल में ☐7,200, तमिलनाडु में ☐6,800 और हिमाचल प्रदेश में ☐6,500 था एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय में भी यही प्रवृत्ति दिखती है। प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय उत्तर प्रदेश में ☐1800, केरल में ☐5,000, गोवा में ☐7000 और तमिलनाडु में ☐4,200 इत्यादि।

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का आकार उसकी प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इतनी बड़ी जनसंख्या और विविधता वाले राज्य में शासन की प्राथमिकताएँ समान रूप से लागू नहीं हो पातीं। छोटे, प्रबंधनीय राज्यों की तुलना में यहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन कठिन, निगरानी कमजोर और संसाधनों का उपयोग कम प्रभावी होता है।

5. राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य के. एम. पणिक्कर ने भी उत्तर प्रदेश के विभाजन को सही मानते हुए तर्क दिया था कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक और प्रशासनिक संरचना ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत नवीन है। राज्य का आधुनिक स्वरूप औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप क्रमिक रूप से विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अवध के नवाब आसफ-उद-दौला द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को राज्य के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र सौंपे जाने से लेकर, 19वीं शताब्दी में अवध, बुंदेलखंड, कुमाऊँ-गढ़वाल और दोआब क्षेत्रों के क्रमशः अधिग्रहण तक, यह क्षेत्र विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के रूप में ब्रिटिश शासन के अधीन आया। इस प्रकार, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का संगठित प्रशासनिक स्वरूप लगभग डेढ़ सौ वर्षों से अधिक पुराना नहीं है इसलिए इसे एक एकीकृत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में मानना वस्तुतः सही नहीं कहा जा सकता। इतिहास यह भी दर्शाता है कि इतने लंबे काल में भी यह क्षेत्र एक समान रूप से जुड़ा हुआ भौगोलिक, सांस्कृतिक या आर्थिक प्रदेश नहीं बन पाया है। प्रदेश की भौगोलिक विविधता तराई क्षेत्र से लेकर, गंगा-यमुना के उपजाऊ दोआब, बुंदेलखंड के पथरीले पठार और पूर्वांचल के घनी आबादी वाले कृषि प्रधान इलाकों तक एक-दूसरे से भिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को जन्म देती है।

निष्कर्ष — पुनर्गठन ही एकमात्र समाधान:

संघीय संतुलन, लोकतांत्रिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की भावना को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे अतिविशाल राज्य का विभाजन अब केवल राजनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता बन चुका है। राज्य का पुनर्गठन चार या अधिक प्रशासनिक रूप से संतुलित इकाइयों जैसे पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध और बुंदेलखंड में किया जाना संघीय ढाँचे को अधिक स्थायी, संतुलित और उत्तरदायी बना सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कावालम माधव पणिक्कर उत्तर प्रदेश के भविष्य के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा से सहमत नहीं थे, वह उत्तर प्रदेश के विभाजन का समर्थन करते थे। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था, तब से आज तक 70 साल से अधिक गुजर गए हैं तथा भारत की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति में भी बहुत अधिक परिवर्तन आ गया हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रीय नेतृत्व को द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना चाहिए ताकि पृथक राज्यों की मांग का औचित्य का पता लगाया जा सकें और बुंदेलखंड सहित विभिन्न छोटे राज्यों की मांग पर विचार किया जा सके।

सन्दर्भ :

1. Bhattacharya, P. K. (1977). Historical Background of Madhya Pradesh from Early Records, Motilal Banarasidas, Delhi.

2. Bhattacharya, P. K. (1977). Historical Background of Madhya Pradesh from Early Records, Motilal Banarasidas, Delhi.
3. Rai, P. (2010). Dalits of Bundelkhand. Centre for Environment and Food Security. Available at http://www.cefs-india.org/reports/State%20of%20NREGA%20in%20Bundelkhand.pdf (Accessed: 1 October 2015)
4. The Hindu. (2014). In Bundelkhand, dacoits still call the shots. The Hindu. Available at http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/in-bundelkhand-dacoits-still-call-theshots/article5935673.ece. (Accessed: 1 October 2015)
5. Pai, S. (2000). State Politics: New Dimensions. Shipra Publications. Pawar, R.S. & Pratibha, D. Cultural Ecology (A Geographical Analysis), Discovery Publishing House, New Delhi.
6. Bundelkhand.in. (n.d.). Traditional Tanks. Available at http://www.bundelkhandinfo.org.in/environment/water/traditional_tanks.html. (Accessed: 1 October 2015d)

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation